175

संख्या एस0जी0:- 293 /7-1-2013-800(374)/2013

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादूनः दिनांक 06 ~~अगस्त~~ सितम्बर 2013.

विषयः- जनपद-पौड़ी गढ़वाल में सतपुली से कोटद्वार तक ऑप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने हेतु 0.90 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु आईडिया सैलुलर लि0 नोएडा को अनुमति दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-पौड़ी गढ़वाल में सतपुली से कोटद्वार तक ऑप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने हेतु 0.90 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु आईडिया सैलुलर लि0 नोएडा को अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9/98-एफ0सी0 दिनांक 16-10-2000, पत्र संख्या 11-9/98-एफ0सी0 दिनांक 21-11-2005 एवं पत्र संख्या 11-9/98-एफ0सी0 दिनांक 08-04-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के तहत प्रदान की जाती है :-

1. प्रश्नगत वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
4. वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रश्नगत वन भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
5. सम्बन्धित वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुँचायें, इसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन्हें ईधन की लकड़ी अथवा अन्य ईधन सामग्री की आपूर्ति की जायेगी।
6. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख-रखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
7. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश संख्या 5-3/2007-एफसी दिनांक 5-2-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार भूमिगत ओ0एफ0सी0 बिछाने के प्रयोजन को कतिपय शर्तों के तहत एन0पी0वी0 की देयता से मुक्त किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में पेड़ों का पातन निहित नहीं है तथा परियोजना क्षेत्र किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत नहीं आता है।

8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करायी गई धनराशि से वन विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं उसका 10 वर्षों तक रख–रखाव किया जायेगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करायी गई धनराशि से वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं उसका 10 वर्षों तक रख–रखाव किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा विभिन्न विभागों के स्वामित्व की भूमि पर भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने से पूर्व उनकी सहमति प्राप्त की जायेगी।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र में किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित ऑप्टिकल फाईबर केबिल लाईन हेतु खोदी गई ट्रेन्च की साईज 2.0 मीटर गहरी एवं 1.0 मीटर चौड़ी से अधिक नहीं होगी। प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्तावित भूमि के उपयोग के उपरान्त उसका मूल स्वरूप बनाये रखने हेतु अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने के कार्य के दौरान मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के पत्र दिनांक 14–05–2013 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने के कार्य के दौरान प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र दिनांक 02–03–2013 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 104/26/प्र0स0–आ0व0 ग्रा0वि0 दि0 1–1–2001, कार्यालय ज्ञाप सं0 110/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0 4–1–2001 एवं शासनादेश संख्या 54/1व.ग्रा.वि./2007–7(4)/2001 दिनांक 18–7–2007 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अर्न्तगत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्याः एस0जी0:– 293 /7–1–2013–800(374)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0काम्पलेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद–पौड़ी गढ़वाल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।
7. प्रबन्धक आईडिया सैलुलर लि0, ए–68, सेक्टर–64, नोएडा, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, (NIC) उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन.आई.सी. की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।